



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-39/2016- 69

दिनांक : 17.01.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत जैव विविधता पार्क, गढ़खटंगा, राँची का विकास कार्य लिए कुल **रु0 676.620 लाख (छः करोड़ छिहत्तर लाख बासठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-30/2017-38/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.01.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-30/ 2017-83/आ0 व0प0 दिनांक 09.01.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 676.620 लाख (छः करोड़ छिहत्तर लाख बासठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	318.178
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	358.442
कुल :-		676.620

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

9

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।
13. इस राशि से किसी ऐसी सामग्री द्वारा निर्मित वस्तु का क्रय नहीं किया जायेगा, जो Eco-friendly नहीं है। पार्क के अन्दर निर्माण किए जाने वाली संरचनाओं में कोई भी ऐसी सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जायेगा, जो Eco-friendly नहीं हो एवं जिसके उपयोग से प्रदूषण को बढ़ावा मिलने की सम्भावना हो।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विभागीय संकल्प 01/यो0बजट-42/2010-3961 राँची, दिनांक 13.09.2012 का अनुपालन करते हुए कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-39/2016-69 दिनांक- 17.01.2018
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-39/2016-69 दिनांक- 17.01.2018
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत जैव विविधता पार्क, गढ़खटंगा, राँची का विकास कार्य से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	Rock/ landscaped fountain	15.000	7.050	7.950	15.000
2	Bonsai garden- displaying the concept of "Reverence to age" and the "Minimalistic" culture	13.178	6.194	6.984	13.178
3	Upper Gondwana period animal species topiary	26.351	12.385	13.966	26.351
4	Plant/ tree based children park	12.441	5.847	6.594	12.441
5	Jharkhand forest types fruit bearing trees zone	2.151	1.011	1.140	2.151
6	Turtle park	41.364	19.441	21.923	41.364
7	Renovation of cactus zone (cold desert/ hot desert/ sand dunes/ kutch type)	117.204	55.253	61.951	117.204
8	Continent wise exotic plants zone	23.515	11.052	12.463	23.515
9	Confucius garden	19.072	8.964	10.108	19.072
10	Yokoso niwa, welcome garden	19.072	8.964	10.108	19.072
11	Succession of sal associates (bahunia zone)	5.414	2.545	2.869	5.414
12	Cassia tora & other ornamental zone	4.943	2.323	2.620	4.943
13	Cost of models & paintings of animals & plants	9.750	4.583	5.168	9.750
14	Development of picnic spot-1 (near lotus pond & toilet)	34.479	16.205	18.274	34.479
15	Development around guest house	7.321	3.441	3.880	7.321
16	Establishment of food kiosk inside/ out side park	15.209	7.148	8.061	15.209
17	Purchase of tools & equipments such as power saw, lawn mover etc.	6.155	2.893	3.262	6.155
18	Development of sun set point	178.700	83.989	94.711	178.700
19	Hedge fencing in park	3.000	1.410	1.590	3.000
20	Drinking water facilities & RO system-3 no	19.530	9.179	10.351	19.530
21	Renovation of existing pathway	10.000	4.700	5.300	10.000
22	Toilet block- 2 no.	19.706	9.262	10.444	19.706
23	Purchase of Bicycle	0.500	0.235	0.265	0.500
24	Purchase of battery rickshaw-2 no.	3.000	1.410	1.590	3.000
25	Purchase of dress for workers working the park	1.000	0.470	0.530	1.000
26	Feasibility study for the solution of water scarcity	3.000	1.410	1.590	3.000
27	Purchase of new plants & replacement of plants	5.000	2.350	2.650	5.000
28	Interior decoration of herbarium house after converting it into museum with library & seminar room	20.000	9.400	10.600	20.000

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
29	Upgradation of present nursery to hitech nursery	10.000	4.700	5.300	10.000
30	Renovation of existing green house	5.000	2.350	2.650	5.000
31	Deep boring-2 nos.	4.675	2.197	2.478	4.675
Total :-		655.730	308.360	347.370	655.730
32	Contigency 1% (round in lakh)	6.557	3.082	3.475	6.557
33	Labour cess 1%	6.557	3.082	3.475	6.557
34	Consultancy fee & All taxes	7.776	3.655	4.121	7.776
Grand Total :-		676.620	318.178	358.442	676.620

अपर प्रधान मुख्य वन निरीक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-39/2016/69

दिनांक - 17-Jan-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	85830	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	31,817,800.00 रुपये तीन करोड अठारह लाख सत्र ह हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	85831	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	35,844,200.00 रुपये तीन करोड अठारह लाख चत्वारसी हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

67,662,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड छहत्तर लाख बासठ हजार

SHRI SATNAM SINGH
ADDL. P.S. DIVISION RA